# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

**राजस्व आवेदन सं. 12/2022**

**पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस**

**अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.**

अनवान

प्रार्थी – 1.मासिंगाराम पुत्र नवलाराम, जाति नाई
निवासी प्रेमसिंह की ढाणी, देदूसर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

**बनाम**

विप्रार्थीगण – 1.तहसीलदार चौहटन
2.सारंगराम पुत्र नवलाराम, जाति नाई
निवासी प्रेमसिंह की ढाणी, देदूसर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण –

प्रार्थी :– **श्री विक्रमसिंह भाटी**

विप्रार्थीगण :– **श्री नरेश धारीवाल (विप्रार्थी सं.02)**

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

## निर्णय

दिनांक :– 04.04.2022

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा प्रेमसिंह की ढाणी, पटवार क्षेत्र देदूसर, तहसील चौहटन में प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 2 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि खसरा सं. 605/407 रकबा 50.00 बीघा का आया हुआ है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 2 के पिता नवलाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में अंकन थी तथा नवलाराम के फौत होने पर पारित नामान्तरकरण में प्रार्थी का नाम मासिंगाराम के स्थान पर रूपा अंकित कर दिया गया जो गलत है प्रार्थी का वास्तविक नाम मासिंगाराम पुत्र नवलाराम है। राजस्व अधिकारियों ने बिना कोई जांच [illegible] रूप से राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम रूपा पुत्र नवला अंकन कर [illegible] प्रार्थी अपना सही नाम मासिंगाराम पुत्र नवलाराम राजस्व रेकर्ड [illegible] है। जिस हेतु [illegible] पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.27 16:56:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर विप्रार्थी सं. 01 को जरिये रजि.एडी नोटिस तलब किया गया। जिसकी एडी प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 02 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश धारीवाल द्वारा वकालतनामा मय आवेदन का इकबालिया जवाब पेश कर प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किया।

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ताओं को सुना गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा प्रेमसिंह की ढाणी, पटवार क्षेत्र देदूसर, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 605/407 रकबा 50.00 बीघा में दर्ज प्रार्थी का नाम रूपा पुत्र नवला के स्थान पर मासिंगाराम पुत्र नवलाराम दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथराम - II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.27 16:56:05 IST
Reason: SelfAttested